FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
भुपिन्द्र कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति महाजन निवासी गली नम्बर 5 नानक नगरी अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब		राज0 राज्य

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 36 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
02.09.2021	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना डीडवाना द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 127/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी का जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर आरजे 31 जीए 7101 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मय उक्त प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली एवं प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दिनांक 06.09.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। पत्रावली दिनांक 06.09.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
6.9.21	प्रार्थी की ओर से वकील सतपाल सिंवर उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार उपस्थित। अनुसंधान अधिकारी श्री अयूब खां उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि जब्त शुदा वाहन टाटा ट्रक नम्बर आरजे 31 जीए 7101 का प्रार्थी भुपिन्द्र कुमार पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन का अन्य कोई दावेदार नहीं है। उक्त वाहन को पुलिस थाना डीडवाना द्वारा उनके प्रकरण संख्या [illegible] है। उक्त जब्त शुदा वाहन की पुलिस को प्रकरण हा[illegible] आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी का उक्त [illegible] पड़ी खराब होने की [illegible] संभावना है। न्या[illegible] हाजा द्वारा द्वारा अधिरोपित हर शर्त [illegible] पर लाकर पेश कर दे[illegible] आदि नहीं करेगा। का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी व अनुसंधान अधिकारी के कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक आरजे 31 जीए 7101 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन स्वामी को वाहन सुपुर्द कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
भूपिन्द्र कुमार v/s सरकार मुकदमा नं० 36/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
6.9.21 (लगातार)	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 127/21 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक–3690 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक आरजे 31 जीए 7101 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन स्वामी को वाहन सुपुर्द कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी भुपिन्द्र कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति महाजन निवासी गली नम्बर 5 नानक नगरी अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।	

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष 12,00,000/–रूपये(अक्षरे रूपये बारह लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना को पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/2021 में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर आरजे 31 जीए 7101 को प्रार्थी को नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।–

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।
3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी डीडवाना द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। मूल केश डायरी अनुसंधान अधिकारी को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:37:14 IST
Reason: SelfAttested